

>

Title: Regarding reported notification making English compulsory in UPSC Civil Services Examinations.

MR. CHAIRMAN: Now we will take up 'Zero Hour'. Shri Lalu Prasad ji.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have called Shri Lalu Prasad ji.

...(Interruptions)

सभापति महोदय : बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : तालू जी, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री तालू प्रसाद (सारण): महोदय, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन में अंग्रेजी जानने वाले लोगों द्वारा कान्सपिरेसी हुई है। पूरे भारत के गांवों से बच्चे देशी भाषाओं के रहते आईएस और आईपीएस की परीक्षा देते थे। हमने, हमारे पुरखों ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। (व्यवधान)। जितनी भी रीजनल भाषाएं हैं, उन्हें दरकिनार करके, हिंदी को दरकिनार करके 100 नंबर का अंग्रेजी का पेपर इन्सर्ट किया है। सारे देश की रीजनल भाषाओं और हिंदी जानने वाले गांव के बच्चों के लिए साजिश के तहत ऐसा किया गया है कि जो अंग्रेजी का 100 नंबर का पेपर पास नहीं करेगा, वह मेरिट में इन्कलूड नहीं होगा। शुरु से ही मंडल कमीशन का दबाव हम लोगों पर पड़ा, क्रीमी लेयर बनाकर पक्षपात किया गया। यही नहीं नॉट फाउंड स््यूटेबल, नॉट टर्न अप किया गया। मेरिट में जो बच्चे बैकवर्ड वलास से आते हैं, उन्हें आरक्षण कोटा में रखा जाता है। यह गंभीर साजिश हुई है। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, एसपी पार्टी के शैलेन्द्र जी और तमाम सदस्यों ने भी दिया है। हम कहना चाहते हैं कि देश में हिंदी की उपेक्षा, इन्सल्ट कैसे की? यह राष्ट्र का अपमान है। इसे रोल बैक कीजिए। इससे पहले जो व्यवस्था थी, उसे कायम करने का सरकार का मैसेज जाना चाहिए। यह ठीक है कि कांस्टीट्यूशनल बॉडी है। लेकिन कांस्टीट्यूशनल बॉडी सरकार से बाहर नहीं है, संसद से बाहर नहीं है। देश में लोगों को काफी गुस्सा है। तमाम दल के लोगों ने दल से अलग हटकर भाषा के सवाल को रखा है। जिस भी अधिकारी ने कांस्पिरेसी की है, उन्हें विह्वल करके दंडित किया जाना चाहिए।

महोदय, शायद वे समझ रहे हैं कि यह देश उनका है। यह देश पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उडिया, बंगाली, भोजपुरी और हिंदी रीजनल भाषाओं को जानने वालों का है। हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हम ज्यादा भाषण करना नहीं चाहते हैं। सब सदस्यों की बात सुनने के बाद इसे रोल बैक कीजिए, हटाइए, पहले जो स्टेट्स था उसे कायम कीजिए। इस तरह का साहस हरगिज नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए। हम सरकार से ठोस जवाब चाहते हैं।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): महोदय, मैं अपने आपको इस मुद्दे के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।... (व्यवधान)â€¦

MR. CHAIRMAN: I will call you later. You will be called. Shri Gopi Nath Munde ji.

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदय, आज सदन में यह मुद्दा उठा है। यूपीएससी में भारतीय भाषा और देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में परीक्षा होती थी लेकिन अब अंग्रेजी भाषा को कम्पलसरी किया गया है। अंग्रेजी के मावर्स सिलेक्शन में कम्पलसरी जुड़ने इसलिए जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, उन्हें तकलीफ हुई है। देश के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं तमिल, मराठी, कन्नड़, मैथिली, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। इन सभी भाषाओं में स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं। ये कौन सा ऐसा फैसला यूपीएससी ने लिया है, जो अंग्रेजी को कम्पलसरी किया और भारतीय भाषाओं को दूर किया। यह सभी भारतीय भाषाओं के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है और जुल्म है। यूपीएससी ने सरकार से कंसल्ट किये बिना ऐसा फैसला किया है। हमारे देश में पिछड़े वर्गों, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदि वर्गों के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अंग्रेजी लागू करने से इनके बच्चे आईएस और आईपीएस नहीं बन पायेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती है। ऐसे बच्चों को आप आईएस और आईपीएस बनाना नहीं चाहते हैं। भारतीय भाषाओं को जानने वाले बच्चे आईएस, आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज में न आ पायें, जानबूझकर इसकी व्यवस्था की गई है। चूंकि एजामिनेशन होने वाला है, इसलिए सरकार इस फैसले को बदलने में देरी न करे, बल्कि तुरंत इस पर फैसला लेना चाहिए कि जो पुरानी पद्धति थी, जो भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का अधिकार था, इस देश के स्टूडेंट्स को वह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अंग्रेजी अनिवार्य करके वया आप अंग्रेजी की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। अंग्रेज देश छोड़कर चले गये, लेकिन आप अंग्रेजी को हमारे माथे पर कम्पलसरी क्यों कर रहे हो। आपने अंग्रेजी को कम्पलसरी किया है, उसके मावर्स भी फाइनल लिस्ट में जोड़े जायेंगे और अंग्रेजी के मावर्स को वेटेज दिया जायेगा और इस वेटेज के कारण ग्रामीण, आदिवासी, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदि वर्गों के बच्चे इस परीक्षा में सिलेक्ट नहीं हो पायेंगे। यह इनजस्टिस विद भारतीय भाषा है, यह इनजस्टिस विद बैकवर्ड वलासेज है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेजी के बारे में जो फैसला यूपीएससी ने लिया है, वह एक इंडिपेन्डेन्ट बॉडी है, यह हम जानते हैं। लेकिन सरकार इसमें पहल कर सकती है, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और संसद भी हस्तक्षेप कर सकती है। संसद से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी संस्था संसद को आन्सरेबल है। पार्लियामेंट सुप्रीम है।

इसलिए मेरी मांग है कि यूपीएससी द्वारा किये गये फैसले के बारे में सरकार जल्द से जल्द संसद को अवगत करायें और को आश्वासन दे कि यह फैसला वापस लिया

जायेगा, ऐसा आश्वासन हम आपसे चाहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, यह विषय मैं पहले भी शून्यकाल में उठा चुका हूँ।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:

Shri Shivarama Gowda,

Shri Hansraj G. Ahir,

Shri Rakesh Singh,

Shri Mahendrasinh P. Chauhan and

Dr. Kirit Premjibhai Solanki are allowed to associate themselves with Shri Gopinath Munde on this issue. ...(व्यवधान) सबको अवसर मिलेगा।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): सर, मैं तेलुगु में बोलना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध होगी।...(व्यवधान) मैं अंग्रेजी, हिन्दी और तेलुगु में बोल सकता हूँ।

सभापति महोदय : ऑर्डर प्लीज, आप मैम्बर की बात सुनिये।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: जैसे आप हिन्दी को चाहते हैं, वैसे ही हम...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज, वेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली : महोदय, मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग हिन्दी को चाहते हैं, वैसे ही हम लोग तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी आदि भाषाओं को चाहते हैं। इसीलिए भाषा को मदर टंग बोलते हैं। भाषा को मदर टंग इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वह मां समान होती है। मां के भीतर भगवान है, इसलिए मां भगवान है। इसलिए भाषा को मदर टंग बोलते हैं।

अभी जो यूपीएससी एजाम के बारे में हमने देखा है, यह बदलाव किसी के लिए अच्छा नहीं है। हमें ऐसी थिंकिंग में कभी नहीं पड़ना है कि अंग्रेजी जानने वाले लोग बाकी लोगों से बड़े हैं, यह ठीक नहीं है। अंग्रेजी जानना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी जानना ही क्वालिफिकेशन नहीं बनना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कामराज नाडार जी थे, जिन्हें भारत का सबसे इन्टेलिजेंट पोलिटीशियन माना जाता था। पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञ, जब भी क्विज होता था तो वह कामराज नाडार से सम्पर्क करते थे। यह हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से कामराज नाडार जी को तमिल के सिवाय और कोई भाषा नहीं आती थी और वे इसके अलावा कभी किसी भाषा में बात नहीं करते थे। हमारी राजनीति में भी बहुत से इन्टेलिजेंट लोग हैं, जिनका भाषा पर भरोसा ही कमांड न हो, वे सिर्फ अपनी मदर टंग ही जानते हैं। मगर उनकी इन्टेलिजेंस उससे नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए मैं इस सभा और सरकार से अपील कर रहा हूँ कि तेलुगू भाषाओं में यूपीएससी के जो एक्जाम्स हो रहे थे, उन्हें वैसे ही करवाइए। जैसा था वैसे ही करवाइए। इंग्लिश को किसी अन्य भाषा से ज्यादा बढ़ावा दे कर, उसे उन्नत स्थान देने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश रहने की बहुत जरूरत है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को रखना है, मगर इंग्लिश को प्रोमोटिटी देने की जरूरत नहीं है। अन्य भाषाओं को समान श्रद्धा देने की जरूरत है।

MR. CHAIRMAN : Shri Ramasubbu is allowed to associate with the matter raised by Shri Aruna Kumar Vundavalli.

Shri Dharmendra Yadav.

श्री धर्मेंद्र यादव (बदायूँ): सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाएँ, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हैं, उनको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से निकालने का जो निर्णय लिया गया है, यह बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी कोई निर्णय नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, यह कोई मामूली निर्णय नहीं है। हमारी संविधान सभा से जुड़े हुए लोग और स्वतंत्रता सेनानियों ने नारा दे-दे कर, हमारे संविधान की रक्षा करने का निर्णय लिया था। नारे दिए थे - लोहिया जी की अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। इन सभी भावनाओं से हमने देश का संविधान बनाया। संविधान बनाने के लिए, भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए, हम कभी अकेले हिन्दी की बात नहीं करते हैं। हम हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। उसकी रक्षा के लिए, इसी सदन ने राजभाषा अधिनियम बनाया। राजभाषा अधिनियम बनाने के बाद राजभाषा समिति बनाई। सभी राष्ट्रीय कार्यालयों की जांच के लिए समिति बनाई। सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर, जिस तरह का यह कानून बनाया है, यूपीएससी से निकले जो अधिकारी होंगे, अगर वे केवल अंग्रेजी जानने वाले होंगे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वे हमारी भारतीय भाषाओं की रक्षा कैसे कर लेंगे? एक नहीं अनेक अत्याचार होते हैं, एक नहीं अनेक शोषण होते हैं। पहले हमारी दोहरी पढ़ाई के माध्यम से शोषण, फिर अगर गांव-गरीब के लड़के किसी तरह अपनी क्षमता से अगर देश की सेवाओं में आ जाते हैं तो फिर से शोषण होता है। यह कोई मामूली शोषण नहीं है। हिन्दी और भारतीय भाषाओं को केवल हटाया ही

नहीं गया है, केवल अंग्रेजी को कंपलसरी ही नहीं किया गया है, बल्कि आप सब को जान कर आश्चर्य होगा कि उसमें जो निबंध का पेपर होता है, उस निबंध के पेपर और अंग्रेजी के पेपर को जोड़ दिया गया है। जिस छात्र की अंग्रेजी कमजोर होगी, उसका निबंध का पेपर भी कमजोर पड़ जाएगा। एक ही पेपर है। दो सौ नंबर का निबंध का पेपर और सौ नंबर का अंग्रेजी का पेपर है। जब वे दोनों एक ही हो गए, तो तीन सौ नंबर से आपने पहले ही पीछे कर दिया। देश के अंदर कितने षडयंत्र करेंगे?

सभापति महोदय, षडयंत्र करने वाले कौन लोग हैं? पूरे सदन को इस पर सोचना पड़ेगा। यह केवल प्रतियोगी छात्र-छात्रों के साथ अन्याय नहीं है, देश के अंदर हम बड़ा संकल्प लेते हैं कि हमारे देश के 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। ... (व्यवधान) सभापति महोदय, यह देश के 80 फीसदी लोगों को देश की तमाम मुख्यधाराओं से दूर करने का षडयंत्र है। क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं। अरुण जी बोल रहे थे। हम अपनी सारी भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं। सभापति जी, हम यह अपील करते हैं कि हिंदी की बजाय अगर हटाने का संकल्प लेना है तो अंग्रेजी को हटाने का संकल्प यह सदन पारित करे, जिससे हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का संविधान बढ़ सके।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please be brief on this. Shri Sharad Yadav.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, इस सवाल ने देश भर को बेचैन किया है। भारतीय भाषाओं के सभी बच्चे बड़ी संख्या में मुझ से मिलते रहे हैं। आज सदन में इस मुद्दे को जिन लोगों ने उठाया है, मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ। यह भारतीय भाषाओं का सवाल है। एक बात जान लीजिए कि हिंदुस्तान सदियों से पीछे है, इसमें बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी का है। आदमी का चिंतन उसकी मातृभाषा में होता है। भोजपुरी हो या चाहे मैथिली हो सभी माँ की बोलियां हैं। सारी दुनिया में भाषाओं का अलग-अलग किरम से एवल्युशन हुआ है। मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य जिस बात को कह चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ।

विदम्बरम साहब, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब से यूपीएससी में नये अध्यक्ष बने हैं, इनकी यह लगातार कोशिश रही है। आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड क्लास के लोग गुप ए में कुल 4.3 परसेंट हैं, कौन हाथ है, जो यह कैंची चला रहे हैं, आप देते हैं और लोग कैंची चलाते हैं। यह मामला गंभीर है, इसे सिर्फ सुधारने की जरूरत नहीं है, जैसा लोगों ने कहा, इस आदमी को यूपीएससी से, यदि आप नहीं कर सकते, यह संवैधानिक संस्था है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले दिन से उस आदमी ने यह काम किया है, यह ऐसा अंग्रेजी का मुसीबत आदमी है, इसने सारी भारतीय भाषाओं को तबाह कर दिया है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप उससे कहिये, उसे बर्खास्त कीजिए या इम्पीचमेंट करने के लिए यहां आइये, जिससे आगे आने वाला कोई आदमी इस तरह की हरकत न करे। यदि आपने इसे ठीक नहीं किया, इस आदमी का माथा ठीक नहीं किया तो हम इम्पीचमेंट लायेंगे। आप इसमें सब व्यूकेट्स लोगों को बिठाते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। आपने तो कास्ट सेंसस के बारे में यहां आश्वासन दिया था, यहां पूणब बाबू नेता थे, उसका क्या हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 80 फीसदी लोगों के साथ अन्याय की उम्र बहुत बढ़ गयी है। यह ऐसा अन्याय हुआ है कि पूरे देश में जो भाषाथी स्कूल हैं, उनके बच्चों के रोजगार खत्म हो गये। एक ठिकाना यह बचा था, इस ठिकाने को भी इन लोगों ने बन्द करने का काम किया, इसका षडयंत्र किया। इन षडयंत्रकारियों को सजा होनी चाहिए और आप सजा न दे सकें तो यहां इम्पीचमेंट लाना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is a very important subject, but please be moderate in your expression; please do not compel the Chair to remove anything that you are saying.

Shri T.K.S. Elangovan.

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, *Vanakkam*. Although I wanted to speak in Tamil yet due to non-availability of Tamil Interpreter I am compelled to speak in English.

Sir, the UPSC examinations were going on smoothly during the last year and the earlier years. What is the necessity to change the system now? Who has authorized the UPSC to change the system mid-way? We cannot accept authoritarian act of the UPSC. The UPSC may be a constitutional body, but these things are related to the people. English is not an official language; English is a link language.

We have regional languages in the States; in my State, Tamil is the official language. Every State has its own official language. English is neither an official language of the state nor of the nation. It is only a link language. When the link language can take such importance in the official duties of the country, what will happen to the regional languages? We have been demanding that the official languages of all the States should be made the official languages of this country.

Under these circumstances, if we allow English to take control of the UPSC and other examinations, then we have no other escape and we will be bound by English. As the other leaders were telling, we will become, once again, slaves to English.

It was the wish of our leader, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi and he had been demanding that all the regional languages should be made official languages of this country.

So, UPSC should be immediately asked not to follow this new procedure. With these words, I say that it should go back, revert and the *status quo* should be maintained.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति जी, हमारे देश के अलग-अलग प्रांतों की अलग-अलग भाषाएँ हैं। हम लोगों को इस सदन में पिछले दिनों बार-बार यह मांग करनी पड़ी जब हमने देखा कि आंचलिक भाषाओं पर आक्रमण हो रहा है। परिवर्तन हुआ, सरकार ने नीति बदली कि अपनी भाषा में यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। यह जो अधिकार हमारे देश के नागरिकों को मिला, उसके लिए हमें सदन के अंदर और सदन के बाहर लड़ाई करनी पड़ी। तब सरकार के ऊपर दबाव डालकर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, ऐसी नीति अपनायी पड़ी। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सरकार की एक नीति है, लेकिन नारायणसामी बोलेंगे कि सरकार की क्या नीति है। एक बार नहीं कई बार सरकार ने बताया है कि यह नीति है कि अपनी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन सरकार की इस नीति के विरोध

में ...**(व्यवधान)** यह संवैधानिक अधिकार है हमारे देश के लोगों को कि संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। यह अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिया गया। आज यह अधिकार छीना जा रहा है। हम कहेंगे कि यूपीएससी का यह जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर है, इसके द्वारा हमारे देश के नागरिकों से उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनके अधिकार पर हमला हो रहा है, ...**(व्यवधान)** इसलिए हम विनित्त हैं। हम मांग करेंगे कि इस सदन में सरकार बताए कि यह जो सर्कुलर जारी हुआ है, उसके द्वारा जो संवैधानिक अधिकार पर हमला हुआ है, उस सर्कुलर को तत्काल वापस लें और कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा आश्वासन यह सरकार इस सदन में दे।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): The 5th March, 2013 Circular of the UPSC is indeed something very sad. We know, those who know, under the able leadership of Jawahar Lal Nehru ji there was a strong move to put pressure and see that Hindi becomes the sole connecting language in this country. This nation was driven to the brink of virtual splitting up. We all know in the fifties and sixties how the DK Movement gained strength.

When we have this background, and this country has a plethora of languages all of which are rich or maybe even richer than some others, it is indeed sad that the UPSC decided to opt only two languages, English and Hindi as if, if you do not know Hindi you are unfit to call yourself an Indian. This mindset, I am glad, that everybody, starting from big Leaders to small people like me, is united in opposing this move to put one particular Indian language on top of everybody. What made the AIADMK Leader and the hon. Chief Minister of Tamil Nadu to believe in saying that this is a discriminatory notification, we from the Biju Janata Dal heartily support it. Students and applicants must have the scope to write in their own mother tongue, in their own languages whether it is Malayalam, Oriya, Bengali, Gurmukhi, Tamil, Telugu, Marathi or Gujarati. I am talking about Indian languages. I am not talking about those Marine's language or something.

So, it is necessary that this House appreciates the fact that with all Indian languages we have to honour English. I will give one little example. Suppose there is a case in Kerala against one of your workers and the judgement comes in Malayalam and that poor worker has to appeal in the Supreme Court. Imagine what troubles he will face in getting the translation of that judgement. So, English definitely is the connecting language but along with English we must have every other Indian language and not just Hindi. This is my request.

We condemn this UPSC notification dated 5 March, 2013. Apart from this, this House is not aware what other changes they have brought about. But those also should be very well scrutinised. I would request the Government to review this and to withdraw this notification which is specifically highlighting only one north Indian cow belt language. It should take everybody on an equal platform along with English.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, आदरणीय लालू जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि हर राज्य की भाषा को महत्व देना चाहिए। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल तक यज्ञ किया है। हमने आजादी के 65 साल बाद आज इस बात को इस सदन में उठा रहे हैं, इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हमें इस सदन के माध्यम से उन बच्चों के पीछे खड़े रहकर उन्हें हौसला देना चाहिए कि आप विंता मत करो, यह पूरी पार्लियामेंट आपके साथ है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि यह सर्कुलर निकलने के बाद हमारे महासचिव के बच्चे हमें पिछले दो-चार दिनों में मिले हैं, सभी दलों के सांसदों को मिले, उन्होंने कहा कि यह हमारे ऊपर अन्याय होगा। ऐसे कितने आईएस और आईपीएस हैं, जो कहते थे कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम आईएस या आईपीएस नहीं बन सकते थे। मैं सदन के माध्यम से विनती करता हूँ कि सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाने वाली है, इसके बारे में सदन को बताए ताकि आने वाले भविष्य में यह न हो।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, most of the Members have expressed their views about this UPSC notification.

On 13.03.2013, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written a DO letter to the hon. Prime Minister regarding this issue. I want to quote from that letter. She said:

"I invite your kind attention to the recent changes notified by the Union Public Service Commission in the scheme of the Civil Services Examination for the year 2013 onwards. These changes are highly discriminatory and appear to be calculated to bias the system against the civil servants aspirants from non-Hindi speaking regions of the country."

She made it very clear and made four points. The first point is that most of the people in rural areas study in their own mother tongue. Afterwards, when they are going for higher education, they are switching over to some other language. In most of the cases, they are switching over to English medium. Just because they studied in English medium, you cannot make them write UPSC examination compulsorily in English language. Till now, our students do have the choice to write the examination in their own mother tongue. They can use Tamil language in the examination.

13.00 hrs.

That option is given. Now students are studying different subjects like mathematics and chemistry in English. But they should be given the right to write the Union Public Service Commission examination in their mother tongue. The second point that is there in the notification is that if a student has not Tamil literature, then he cannot opt for a subject on Tamil literature. That is the second discrimination that is being made. Thirdly, suppose if there are less than 25 students in an examination centre to write an examination in their mother tongue, then the students would not be allowed to write the examination. This is another stipulation that they have made in this regard. Fourthly, there was an option earlier to write the examination in any Indian language. But that provision has now been removed. Now, because of these changes that have been brought about by this notification, the people, particularly students of Tamil Nadu in rural areas have been adversely affected. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has reiterated her claim that this has to be withdrawn. Most people call Hindi as a regional language. But this is wrong. All the languages that are included in the Eighth Schedule of the Constitution are Indian languages. Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu in the year 1993 had passed a Resolution in our party requesting the Central Government to see that Tamil and other Indian languages must be declared as national official language for this country. We fought for our freedom not based on any one language. People speaking different languages like Tamil, Telugu, Malayalam, Marathi and other languages fought in the freedom struggle. Therefore, we have the right. Last time also we also raised this issue and we demanded that the Parliament should take this matter seriously to see that all languages like Tamil are declared as national official language of this country...(*Interruptions*)

Sir, I wanted to speak in Tamil here, but I could not speak because the interpretation was not available and thus I am speaking in English. Therefore, this kind of discriminatory problem has to be solved. We want interpretation for all languages here in this House. Therefore, once again I would like to request the Government to withdraw the UPSC notification and see that all languages are included for writing the UPSC examination.

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सभापति जी, मैं मानता हूँ कि हमारे देश की शक्ति इस की विविधता में है। आज सवाल यह है कि क्या हम उस विविधता को संरक्षण देना चाहते हैं या उसे समाप्त करना चाहते हैं? मैं मानता हूँ कि भाषा इंसान को समाज से जोड़ती है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस में हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हमें इंसान बनाने में भाषा की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यदि हम धरातल पर जा कर देखेंगे तो जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, वे गांवों की पाठशालाओं में पढ़ कर अपनी जगह मुख्यधारा में बना रहे हैं। मैं अपील करता हूँ। मैं सदन की भावना के साथ खड़ा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करेगी और न्याय करेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदय, हिन्दुस्तान में अंग्रेजी भाषा के बारे में इतना प्रेम कैसे है, यह हम नहीं जानते, बहुत ज्यादा प्रेम है। सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में यह माना जाता है कि आप कितने अच्छे दफ्तर में हैं, सरकार में हैं, वह इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं...(*व्यवधान*) चिदंबरम जी जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उस के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है लेकिन हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता की भाषा होनी चाहिए। केवल हिन्दी का सवाल नहीं है। ...(*व्यवधान*) ये गलत बात बोल रहे हैं कि हम अंग्रेजी नहीं जानते। मैं हाउस में आप से अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ। सवाल यह नहीं है लेकिन हम आप को एक चीज बोलेंगे कि हम जब अंग्रेजी में बोलते हैं तब अखबार भी अच्छे से थोड़ा-बहुत छापते हैं लेकिन जब हिन्दी में बोलते हैं तो वे कुछ नहीं लिखते हैं।

सभापति जी, हिन्दी और अंग्रेजी का सवाल नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि जर्मनी में अंग्रेजी है क्या?...(*व्यवधान*) इटली में अंग्रेजी है क्या? हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में मातृभाषा में हमारी शिक्षा हो जाए। जो भाषा से हम मां को मां बोलते हैं, पानी को पानी बोलते हैं, वही भाषा से हमारे हिन्दुस्तान में शिक्षा होनी चाहिए। यह हिन्दी की बात नहीं है, अंग्रेजी का सवाल नहीं है। आप अंग्रेजी को आवश्यक मत कीजिए, आप इसे ऐच्छिक कीजिए।

हम एक बात लास्ट में बोलना चाहते हैं, हम जानते हैं कि सरकार क्या बोलेंगी? चिदंबरम जी बोलेंगे कि संसद को मानते हुए सरकार कुछ करेगी। आप जानते हैं, हमारे लालू बाबू की इतनी बुलंदियों के बाद सरकार को हिम्मत नहीं, जो है, वही रहेगा, बदल होगा, हम जानते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि यूपीएससी ने जो आदेश दिया, यह आदेश सरकार के साथ बातचीत करके दिया...(*व्यवधान*) सरकार के साथ बातचीत करके नहीं दिया, यह हम जानना चाहते हैं? हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में स्टेबस कहते हैं, कुछ दिन पहले इसके बारे में हमने सवाल उठाया था। हम जानना चाहते हैं कि यूपीएससी जो संगठन है, वह कैसे चलेगा? सरकार के साथ सम्पर्क क्या है, हिन्दुस्तान की जनता के साथ सम्पर्क क्या है? हिन्दुस्तान की जनता के साथ हम अन्याय करते हैं, यह अनकॉस्टीट्यूशनल नहीं है, अन्याय करके हिन्दुस्तान में कोई संगठन नहीं चलेगा। जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इस बात में हम सब एक साथ हैं।

* DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Thank you, Chairman Sir. I would like to speak in Punjabi.

Sir, there are vicious forces in this country who leave no stone unturned to spoil the peace and tranquility prevailing here. They spoil everything. These foreign or Indian forces have played another joke upon the Indians, as is evident from the circular of the UPSC. As demanded by all the hon. Members, these forces must be exposed and stringent action must be taken against those responsible for this mischief.

*English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

As far as language is concerned, let me remind this august House that after we attained Independence, several states were carved out on the issue of language after agitations. We got the 'Punjabi Suba' only after a long struggle of 15 years. So, all languages in India must be given due regard and accepted by the UPSC. This is the need of the hour so that students belonging to all states and speaking different languages are able to compete on a level playing field in UPSC exams.

श्री शशीकुंहीन शारिक (बायमुला): आनर्बेल स्पीकर सर, मादरी जबान के बारे में माहरीन तालीम का और माहरीन नफसियात का यह मानना है कि अपनी मातृ जबान जो है, मदर टंग, उसमें आदमी, बच्चे की सलाहयते ज्यादा उजागर होती हैं, उसकी दिमागी सलाहयते ज्यादा ऊंची उड़ान लेती हैं, बजाए इसके कि उसके मुंह में हम जबरदस्ती दूसरी जबान लोक दें। मैंने देखा कि आजादी की लड़ाई के दौरान अगर अंग्रेज पुलिस वाला हिन्दुस्तानी को गाली देता था, उसे मातूम था कि यह अंग्रेजी में नहीं समझेगा तो हिन्दुस्तानी में वह बात करने की कोशिश करता था। किसी ने कहा है, "जुबाने यारेमन तुर्की, वमिन तुर्की नमिदानम।" मेरे यार की जुबान तुर्की है और मैं तुर्की जबान नहीं जानता, जो जानता हूँ, वह अपने ही देश की और अपनी मादरी जबान जानता हूँ। लिहाजा जो यहां चर्चा हुई है, ये गुलामी की जहलियत है हम में मौजूद, जहां हम सिर्फ यह समझते हैं कि जो अच्छी अंग्रेजी बोले, सारी अवत उसी के ठेके में पड़ गई है, सारा अवत उसी के ठेके में आ गया है। ये गुलामी की जंग, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना बहुत बड़ी बात है। किसी जुबान के खिताफ नफरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां जो हिन्दुस्तान की जरूरत है, हिन्दुस्तानियों की जरूरत है, वे मुकामी जुबानें समझने, उसी को पढ़ने-लिखने की जरूरत है। उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी है कि जो भी इम्तिहान यू.पी.एस.सी. के हों या दूसरे इम्तिहान हों, वे मुकामी जुबान में, मादरी जुबान में हों, ताकि हमारे बच्चे अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार कर सकें और अपनी कबलियत का लोहा मनवा सकें।

पु. सौगत राय (दमदम): सर, आज हाउस में जो तर्क हुआ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में अंग्रेजी को अलग भाव, अलग वेटेज देने की बात की और अंग्रेजी को आवश्यक किया, हम इसके पूरी तरह खिताफ हैं। हमारे संविधान के आठवें शैड्यूल में हमारी सारी भारतीय भाषाओं की तालिका है और यह अधिकार किसी भी भारतीय नागरिक का है कि वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सर्व भारतीय नौकरी के लिए परिक्षाएं होती हैं, वे किसी भी भारतीय भाषा में लिख सकें। हमारी भाषाओं को बहुत लड़ाई के बाद हमारे संविधान में स्वीकृति मिली। बहुत साल के बाद गुलामी की जंजीर से हमारा देश मुक्त हुआ था। आज फिर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देना, ज्यादा बढ़ावा देना ठीक नहीं रहेगा। जैसे कुछ लोग बोले हैं, अंग्रेजी एक भाषा है, जो सीखें, वह अच्छा है, लेकिन भारतवर्ष में नौकरी के लिए भाषा आवश्यक होगी, यह बहुत ही खराब बात है, इसलिए लालू यादव जी ने जो चर्चा शुरू की थी कि इसको वापस लेना चाहिए और यूनियन पब्लिक सर्विस के किस अधिकारी ने यह काम किया, उसको हूँकर निकालना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूँ और उनके खिताफ कदम उठाना चाहिए। मुझे पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान की धारा 319 के अनुसार एक संस्था है, जैसे कम्प्यूटर एण्ड ऑडिटर जनरल है, जैसे इलैक्शन कमीशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, यह भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन यह हाउस की जो पूरी सैस है कि हमारी भारतीय भाषा की मर्यादा, हमारी राजभाषा के साथ-साथ उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और इसका जो उल्लंघन किया, उसकी निन्दा होनी चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): महोदय, सदन में काफी माननीय सदस्यों ने इस पर काफी बातें कही हैं तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात सदन के सामने लाना चाहता हूँ कि 1980 से पहले नये सिस्टम को जो रिकमेण्ड कर रहे थे, यह चल रहा था और उस समय अगर देख लिया जायेगा तो वैसे पदाधिकारी आते थे, जो अपने आपको राजा समझते थे और अपने आपको पब्लिक सर्वेंट के रूप में नहीं देखते थे। 1980 के बाद वैसे पदाधिकारी लोग आने लगे, जिनकी जनता के बीच में काम करने की इच्छा थी। इसका छोटा सा उदाहरण है। जैसे कि हम दो साल पहले जब आई.एस. एकेडमी में लैक्चर देने के लिए गये थे तो वहां हमको दो लड़के मिले, एक टाटा प्लांट पुणे में वर्कर की कैटेगरी में था, जो विदेश सेवा में चला गया और एक रामगढ़ का लड़का था, जिनके पिताजी के पास एक पान की दुकान थी। यह नया सिस्टम जो यू.पी.एस.सी. रिकमेण्ड कर रहा है, इसके बाद हम फिर से पुराने 1980 वाले सिस्टम में चले जाएंगे। यह युनिक्वित कर लेंगे कि गरीब परिवार के बच्चे, जो छोटे शहर से, मुफसिल शहर से जो आते हैं, उनका यू.पी.एस.सी. में पास करना असम्भव होगा। सदन की भावनाओं को रिपीट करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पुराना सिस्टम जो चल रहा था, अभी शैड्यूल एट में जितनी भी भाषाएं हैं, उसको लागू किया जाये। एक और चीज़ जो सभी लोगों ने कही कि यू.पी.एस.सी. के कांस्टीट्यूशनल पोस्ट के बारे में, जो भी यू.पी.एस.सी. के वेयरमैन इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जांच की जाये। एक

और चीज़ है कि यू.पी.एस.सी. या जितनी भी संवैधानिक पोस्ट हैं, वे ब्यूरोक्रेट्स का रिटायरमेंट होम बन गयी हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हम जब भी सुनते हैं, कांस्टीट्यूशनल पोस्ट में हम लोगों को जाल थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए ताकि देश में उचित ढंग से सबसे उचित लोगों को सौंप दिया जाये। सिर्फ ऐसा न हो कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ही वापस मिलेवाट किया जाए।

*SHRI A. GANESHAMURTHY (ERODE): Hon'ble Chairman Sir, I thank you for the opportunity. Now, an issue has been raised. It is a very sensitive issue. Even after India's independence, the nation which we now address as "India", was not united. Many languages, many races and many cultures were united to form the Indian nation. The problem of languages arose later.

Our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru gave an assurance that English will be the link language that will be language of communication till all the regional languages of India became the official language of the country. Sir, now it seems that that assurance has gone with the wind. Now a situation has come that UPSC examinations can be written only in English or in Hindi. The members who spoke here expressed two different kinds of views. Some members expressed that the examination has to be written only in Hindi. And the other view is that all regional languages have to be used for writing examinations.

Sir, we should give the opportunity to the candidates to write the examination in any language of their choice before differences arise among us. The candidates should be allowed to write the examination in any regional

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

language. As spoken by the members here, English is the language of communication. And all the languages that are mentioned in the Eighth schedule of the Constitution of India has to be made the official language of India.

Sir, at this juncture, I would like to point out another important issue. In our House, the interpreter who was interpreting from Tamil to English has retired. After his retirement, one year has passed. No new person was appointed as an interpreter so far. Therefore, I would like to request the Speaker and the Secretary General that an interpreter, exclusive to our House has to be appointed as expeditiously as possible.

श्री शीश राम ओला (सुंयुनु): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। महात्मा गांधी जी ने आजादी के वक्त नारा दिया था, विदेशी वस्तुओं की होली जलायी थी, चरखा लेकर गांवों में गए और कहा कि चरखे से सूत कातो और कपड़ा बनाओ। उससे पहले हरिजन की, किसान की, आदिवासी की और पिछड़े वर्ग की क्या हालत थी, उसका आज आकलन नहीं कर सकता। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब किसी फौजी की चिट्ठी आती थी, तो गांव में कोई उसको पढ़ने वाला नहीं मिलता था।

मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। चिट्ठी-पत्र लेकर, जो शहर में पढ़े-लिखे होते थे उनके पास जाना पड़ता था। आज भी गांवों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 1947 से पहले महात्मा जी ने नारा दिया था, इसके बाद हमारे मुल्क के दो राष्ट्र, तीन राष्ट्र हुए... (व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए... (व्यवधान) आप बोलने नहीं दीजिएगा तो मैं बैठ जाता हूँ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : ओला जी हमारे आगे यूपीएससी सर्कुलर का एक मुद्दा है, आप उस पर बोलिए।

ॐ! (व्यवधान)

श्री शीश राम ओला: मैं बोलूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये यूपीएससी के कौन महानुभाव हैं जिन्होंने यह सलाह दी है, उसके खिलाफ ऐक्शन हो, कार्रवाई हो। ... (व्यवधान) हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, वह हिन्दी रहे, हमारी प्रांतीय भाषा कायम रहे और क्षेत्रीय भाषा, वे सब कायम रहें। ... (व्यवधान) वर्ष 1947 के पहले अंग्रेजों के पास आईसीएस ऑफिसर्स होते थे। हमारी आजादी के बाद आईएस ऑफिसर्स कायम हुए। क्या आज गुलामी फिर चाहते हैं? मैं इसके घोर विरोध में हूँ, मैं खिलाफ हूँ, इसको तत्काल स्वीकृत किया जाए। इस विधेयक को वापस लिया जाए और गांवों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय सभापति जी, जो भावनाएं आज सदन में व्यक्त की जा रही हैं, निश्चित रूप से देश की जो आंतरिक भावना है उसका

उभार है, प्रकटीकरण है। इसलिए मैं वैसे सदस्यों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने देश की जो भाषाएँ हैं उनको महिमामंडित करने के लिए और जैसे कि पुरानी कहावत है कि जब कोई पढ़ा-लिखा भारतीय गुरुसे में आता है तो अंग्रेजी बोलता है। मुझे लगता है कि यूपीए थोड़ा गुरुसे में आई है और इसने कहा कि चलो हम अंग्रेजी की जो वरियता है उसको सिद्ध कर के दिखा देते हैं। यूपीए को यह समझना चाहिए कि देश में गुरुसा नहीं चलेगा। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हमें इन द लाँग रन कोई न कोई एक लिंक भाषा बनानी पड़ेगी। यह ठीक है कि तमील अपनी जगह आने बड़े, मलायली, पंजाबी, बंगाली बड़े, लेकिन एक लिंक भाषा तो चाहिए जिससे हम एक दूसरे के नजदीक आएँ। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि अगर तमिलनाडु के लोग हिन्दी में लिखते हैं तो उनको एक्सट्रा वेटेज दिया जाए ताकि उनके दिल में हिन्दी पढ़ने की इच्छा पैदा हो और देश में एक राष्ट्रीय भाषा आने बढ़ सके, वह पनप सके।

MR. CHAIRMAN : Thank you. We have some more important issues before us. So, Shri Prasanta Kumar Majumdar and Dr. Tarun Mandal may associate themselves with this matter.

Now, the hon. Minister.

...(Interruptions)

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, I rise to say that there are various languages, religions and cultures in this large nation called India. Every language has a unique place in our society and all are close to our hearts. There are so many mother tongues and they all enjoy constitutional status. So each language should be given due weightage. Even the parliamentary work should also be carried out in regional languages. The circular that has been issued by UPSC recently is highly damaging. Earlier

this examination could be taken in regional languages as well. Why only English and Hindi should be accorded more importance? Other regional languages are equally rich and should not be forgotten. We all know that there were two great Indian personalities who had immense impact on world history – one was Mahatma Gandhi and the other was Rabindranath Tagore. Both of them preferred Indian languages. Tagore even received the Nobel Prize for his Gitanjali. So such is the prowess of a mother language. Therefore priorities should be given to all Indian languages and English should not be the only language for UPSC examinations as that will be harmful to the students who wish to appear in these exams and should be allowed to write in their own language.

So I once again urge upon the Government to ensure that the UPSC circular is withdrawn with immediate effect.

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, यूपीएससी ने जो फैसला लिया है, यह गलत है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्हें इसे तुरंत वापिस लेना चाहिए। मेरे दो बिन्दु हैं। यूपीएससी के इस कदम से यह सोच पैदा हो सकती है कि यूपीए सरकार या आईएनसी इंग्लिश से बहुत प्यार करती है, उसे गंभीरता देती है। लेकिन हम जानते हैं कि पंडित नेहरू ने इंडिया में पहले बोला था कि अंग्रेजी हटाओ। वर्ष 1986 में राजीव गांधी जी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, उसमें भी अंग्रेजी की इम्पार्टेंस कम कर दी गई। लेकिन साथ ही देश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल और कालेज चलाए जा रहे हैं। एक इलीट क्लास पैदा हो रही है। इलीट क्लास को सुविधा देने की यूपीएससी की कोई साजिश है। यह ठीक नहीं है।

यदि हम देश की भाषा के विकास और उसके ओरिजन के इतिहास में जाएं, देश के कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं। अंग्रेजी हटाओ और अंग्रेज हटाओ एक चीज नहीं है। कवि गुरु रविन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा था, बंगाली लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज गंगा-जमुना की तरह साथ-साथ चलती रहीं तो बंगाली भाषा का विकास होगा। भारत में बंगाली लैंग्वेज सबसे रिचेस्ट है क्योंकि इंग्लिश के सहयोग से उसे उन्नत होने की सुविधा मिली। हर रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश जैसी इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज, रिचेस्ट लैंग्वेज के साथ रखकर सबका गुरुत्व बढ़ाना चाहिए, किसी को कम नहीं रखना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। ..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:

Shri Virender Kashyap,

Shri Nishikant Dubey,

Shri Anurag Singh Thakur,

Shri Rakesh Sachan,

Shri Harin Pathak,

Shri Rajendrasinh Rana, and

Shri Arjun Ram Meghwal,

S.S. Ramasubam are allowed to associate with the issue of UPSC raised by many hon. Members.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नायरुणसामी): मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने यूपीएससी के नए नोटीफिकेशन के बारे में चर्चा की...*(व्यवधान)* आपने जो मुद्दे उठाए, उस बारे में हम यूपीएससी के अधिकारियों को बुलाकर बातचीत करके आपका मन खुश करने के लिए रास्ता निकालेंगे...*(व्यवधान)*

13.29 hrs. (Madam Speaker in the Chair)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) अँँँ**

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए,

अँँँ*(व्यवधान)*

श्री वी.नायरुणसामी: मैडम, तालू जी ने तब तक नोटीफिकेशन बंद करने के लिए कहा...*(व्यवधान)* मैं अब अंग्रेजी में पढ़ूंगा so that they can understand.

I would like to say that the Government has taken into account all the views expressed by the hon. Members on the recent Notification issued by the Union Public Service Commission. The Government will call a meeting of the UPSC and solve the issue. In the meanwhile, taking into consideration the views expressed by the hon. members, we will keep the Notification in abeyance and the *status quo ante* will be maintained....*(Interruptions)*
